

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

विविध वाद सं० 129/2022-23 (S.T.)

रंजीत सिंह भूमिज उर्फ रंजीत सिंह प्रथम पक्ष।

बनाम

लाल मोहन सिंह द्वितीय पक्ष।

क्रमांक/
तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की
का

27-04-23

यह वाद मौजा गुड़ाझोर, थाना न० 1123, खाता न० 103, प्लॉट न० 563, रकबा 06 डी० गोड़ा II, वार्षिक लगान 0.50 रु०, भूमि के अन्तरण से संबंधित है। इस वाद के आवेदक रंजीत सिंह भूमिज उर्फ रंजीत सिंह, पिता स्व० मधु भूमिज उर्फ मधु सिंह ग्राम गुड़ाझोर, थाना गालुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के निवासी हैं। विपक्षी लाल मोहन सिंह, पिता स्व० शम्भू चरण सिंह ग्राम छोलागोड़ा, थाना गालुडीह, जिला - पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं।

इस वाद में निर्गत सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के अन्तरण हेतु समर्पित कागजात एवं शपथ पत्र सं० 07 दिनांक 27.04.2023 तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक 221 दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि आवेदक रंजीत सिंह भूमिज एवं अन्य के नाम पर हाल सर्वे 1964 में दर्ज है। आवेदक स्वयं आवेदित भूमि के खतियानी/जमाबंदी रैयत हैं।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक को उक्त जमीन बिक्री हेतु प्रथम द्रष्टया हक प्राप्त है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके परिवार के जीवन निर्वाह हेतु लगभग 2 एकड़ से अधिक जमीन शेष बचता है। आवेदक आवेदित भूमि को आवश्यक पारिवारिक खर्च एवं ऋण अदायगी इत्यादि की प्रतिपूर्ति के लिए 200,000.00 (दो लाख) रु० में बिक्री करना चाहते हैं, जो अपरिहार्य है।

दिनांक 05.01.2023 को निर्गत सर्वसाधारण सूचना के विरुद्ध अब तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उभय पक्ष अर्थात् बिक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के अन्तर्गत निवास करते हैं।

अतः उपर्युक्त प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 46(क) के अन्तर्गत आवेदित भूमि के अन्तरण हेतु आवेदक को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि क्रेता एवं बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल कब्जा/कोई विवाद के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।
(अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त)

Issued Ofc of Joint orders M&L